न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 33/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00268

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मांगीलाल पुत्र श्री वनाजी, जाति–सिरवी, निवासी ग्राम–वड़ेरवास, तहसील–पाली, जिला पाली राजस्थान		1. ढलाराम पुत्र श्री हकारामजी 2. ताराराम पुत्र श्री डायारामजी जातिगण–सीरवी, निवासी ग्राम–वड़ेरवास, तहसील पाली, जिला–पाली राजस्थान 3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील–पाली, जिला–पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16/12/20

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर एक्ट 1956 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम वडेरवास के नामान्तरकरण संख्या 442 पारित दिनांक 05.09.1998 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई अपील म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली का मूल नामान्तरकरण संख्या 442 तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि ग्राम वडेरवास प.ह. वडेरवास तहसील पाली के खसरा नम्बर 1833 व 1834 मे 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज थे। वना पुत्र मेघा जी की मृत्यु के पश्चात प.ह. वढेरवास द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 05.09.1998 भरा गया उसमें मांगीलाल, ढलाराम व ताराराम पुत्र वना सिरवी दर्ज किया गया जबकि वनाराम पुत्र मेघाजी के एक मात्र वारिस अपीलाण्ट मांगीलाल ही था रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ढलाराम तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ताराराम दोनो सगे भाई है तथा हकाजी के पुत्र है वना पुत्र मेघा के नही है। इससे सिद्ध होता है कि प.ह. द्वारा उसके विधिक उत्तराधिकारियों की बिना जांच एंव उनकी बिना सुनवाई किए नामान्तरणकरण भरा गया है जो काबिल खारिज है। जिसे निरस्त फरमाया जावे। जैर अपील नामान्तरकरण के पारित होने से अपीलाण्ट 1/6 हिस्से के खातेदार दर्ज होने के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में 1/18 हिस्से के खातेदार दर्ज हो गये इस प्रकार अपीलाण्ट का हक प्रभावित होने से ऐसा नामान्तरकरण Null & void होने से अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमावें।

हारिज अदालत रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होने वना पुत्र मेघा के एक मात्र संतान अपीलाण्ट मांगीलाल को ही बताया है रकबा का इन्द्राज केवल नामान्तरकरण में होना चाहिए था यह तथ्य स्वीकार किया तथा जवाब में यह भी उल्लेख किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 दोनो ही हका जी के पुत्र है दोनो रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब के साथ ही अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की, जिसमें उनके पिता का नाम हकाराम सिरवी दर्ज है उन्होने जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलाण्ट के ही नाम इन्द्राज किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार का एतराज नही होना उल्लेखित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rana
Date: 2021.03.05 19:40:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

दोनो ही अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं जैर अपील नामान्तरकरण से उनके नाम की प्रविष्टी निरस्त की जाती है तो वे सहमत है उन्हे किसी प्रकार का एतराज नही होना भी जाहिर किया है।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है अपील व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 दोनो हका जी सीरवी के पुत्र है तथा वना पुत्र मेघा जी सीरवी के एक मात्र संतान अपीलाण्ट मांगीलाल सीरवी होने से उसे ही स्व. वना के विधिक वारिसान के रूप में दर्ज किया जाना विधिसम्मत है, इस से दोनो रेस्पोडेण्ट सहमत है तथा नामान्तरकरण संख्या 442 वढेरवास निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट अकेले का नाम स्व. वना पुत्र मेघा सिरवी के वारिसान के रूप में दर्ज कर पारित किया जाना न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष को कोई एतराज नही है। दोनो ही पक्ष सहमत है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पाली द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 442 ग्राम वडेरवास तहसील पाली निरस्त किया जाता है एंव इस आशय से तहसीलदार पाली को प्रति प्रेषित किया जाता है कि स्व. वना पुत्र मेघा जी सीरवी निवासी वडेरवास के विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुना जाकर सभी विधिक वारिसान के नाम इन्द्राज किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जानें कि कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति मूल नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 05.09.1998 के साथ तह0 पाली को लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16-12-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:40:40 IST
Reason: SelfAttested